फाइल नं0-71-3099/19/2021-03

167/2022/I/240122/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 29 दिसम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-14, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-967/पी0सी0एल0/परि0प्र0-14, दिनॉक 22.07.2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 556.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 278.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–65/2021/641/71-3-2021-14-2020, दिनॉक 17-05-2021 द्वारा प्रदान की गयी है। तदोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 139.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–14/2022/I/2000485/71-3099/19/2021-03, दिनॉक 24-01-2022 द्वारा प्रदान की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 417.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज अयोध्या हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 139.07 लाख (रू0 एक करोड़ उनतालीस लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है किसी अन्य कार्यों/मदो पर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिचित किया आयेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत या और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण संयंत्र के क्रम में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्रावधानों तथा सूक्ष्म , लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई टेण्डर ई-पीक्योरमेन्ट गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यदि प्रायोजना की लागत में कमी आती है तो अवशेष धनराशि राजकीय कोष में प्रधानाचार्य/वित्त अधिकारी द्वारा जमा कराया जायेगा।
9. मेडिकल कालेज अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण हेतु अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 417.00 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने एवं कार्य संतोषजनक होने के उपरान्त ही प्रधानाचार्य द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. शासनादेश संख्या–65/2021/641/71-3-2021-14-2020, दिनॉक 17-05-2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,39,07,000 (रूपये एक करोड़ उनतालीस लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058000 मेडिकल कालेज, अयोध्या मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।